

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, dated the 18th September, 2013

NOTIFICATION

S.O.....(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, number S.O.1942(E) dated the 19th August, 2011, namely:-

In the said notification, in Schedule-2, for serial numbers 10,14,15,16 and 18 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

Sr. No.	Designation of Income Tax Authorities	Head Quarters	Jurisdiction	Powers and functions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10.	Director of Income Tax (Intelligence), Guwahati	Guwahati, Assam	Area within the limits of States of Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Nagaland	All powers conferred under the Income Tax Act, 1961 related to and in connection with the collection, collation, verification and dissemination of information in respect of territorial area mentioned in column (4)
14.	Director of Income Tax (Intelligence), Pune	Pune, Maharashtra	Area within State of Maharashtra other than (i)Mumbai Municipal Corporation;	All powers conferred under the Income Tax Act, 1961 related to and in connection with the collection, collation, verification and dissemination of

			(ii) District of Thane.	information in respect of territorial area mentioned in column (4)
15.	Director of Income Tax (Intelligence), Bengaluru	Bengaluru, Karnataka	Area within the States of Karnataka and Goa.	All powers conferred under the Income Tax Act, 1961 related to and in connection with the collection, collation, verification and dissemination of information in respect of territorial area mentioned in column (4)
16.	Director of Income Tax (Intelligence), Hyderabad	Hyderabad, Andhra Pradesh	Area within the State of Andhra Pradesh and Yanam area of the Union territory of Puducherry.	All powers conferred under the Income Tax Act, 1961 related to and in connection with the collection, collation, verification and dissemination of information in respect of territorial area mentioned in column (4)
18.	Director of Income Tax (Intelligence), Kochi	Kochi, Kerala	Area within the State of Kerala and Union territory of Lakshadweep and Minicoy, and the Mahe area of Union territory of Puducherry.	All powers conferred under the Income Tax Act, 1961 related to and in connection with the collection, collation, verification and dissemination of information in respect of territorial area mentioned in column (4)".

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii) vide notification number S.O 1942(E) dated 19th August, 2011.

[Notification No.

71 /2013 F.No.187/8/2013-ITA-I]



(Deepshikha Sharma)

Deputy Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 18th सितम्बर, 2013

का.आ. सं. (अ) - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 1942 (अ) दिनांक 19 अगस्त, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची - 2 में क्रम संख्या 10, 14, 15, 16, तथा 18 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए क्रमशः निम्न क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार	शक्तियां एवं कर्तव्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	आयकर निदेशक (आसूचना) गुवाहाटी	गुवाहाटी, असम	असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड राज्यो की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	कॉलम (4) में उल्लिखित प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित सूचना के संग्रहण परितुलन, सत्यापन तथा प्रचार - प्रसार से संबंधित और इस बारे में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां
14	आयकर निदेशक (आसूचना) पुणे	पुणे, महाराष्ट्र	(i) मुम्बई नगर निगम; और (ii) थाणे जिले को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य के भीतर आने वाले क्षेत्र	कॉलम (4) में उल्लिखित प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित सूचना के संग्रहण परितुलन, सत्यापन तथा प्रचार - प्रसार से संबंधित और इस बारे में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां

15.	आयकर निदेशक (आसूचना) बैंगलूरु	बैंगलूरु, कर्नाटक	कर्नाटक तथा गोवा राज्य के भीतर आने वाले क्षेत्र	कॉलम (4) में उल्लिखित प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित सूचना के संग्रहण परितुलन, सत्यापन तथा प्रचार- प्रसार से संबंधित और इस बारे में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां
16.	आयकर निदेशक (आसूचना) हैदराबाद	हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य तथा पुद्दुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यनम क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्र	कॉलम (4) में उल्लिखित प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित सूचना के संग्रहण परितुलन, सत्यापन तथा प्रचार - प्रसार से संबंधित और इस बारे में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां
18.	आयकर निदेशक (आसूचना) कोच्ची	कोच्ची, केरल	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप तथा संघ राज्य क्षेत्र पुद्दुचेरी के मिनिक्ॉय तथा माहे क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्र	कॉलम (4) में उल्लिखित प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित सूचना के संग्रहण परितुलन, सत्यापन तथा प्रचार - प्रसार से संबंधित और इस बारे में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियां”।

टिप्पणी:- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (2) में अधिसूचना संख्या का.आ.1942 (अ), दिनांक 19 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[अधिसूचना संख्या 71 / 2013 फा.सं. 187/8/2013 आईटीए-1]

दीपशिखा

(दीप शिखा शर्मा)
उपसचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रैस,
रिंग रोड मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
राजौरी गार्डन के समीप, नई दिल्ली।